(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 193 / 2016

बउनवान

सत्यनारायण पुत्र श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासी बरखेडा तहसील अन्ता जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, अन्ता जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 11.09.2019

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारॉ द्वारा इस न्यायालय मे अंतरित की गई है। अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के प्रकरण संख्या 336 / 2016 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बरखेडा की सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला पर सम्वत् 2072 रबी में खसरा नम्बर 7 / 129 की रकबा 0.22 हेक्टयर भूमि पर फसल लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 264 / – रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 12.4.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण माह अप्रेल 2016 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार अन्ता से मूल पत्रावली 12 बार तलब किये जाने के उपरांत भी प्राप्त नही होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार अन्ता द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट को कभी उपरोक्त प्रकरण मे नोटिस तक जारी नही किया गया ओर ना ही कभी अपीलांअ को तामील करवायी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति मे उपस्थिति लिखकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट को कभी दस्तखत ही नही हुये। अपीलांट ने कभी उक्त भूमि पर कब्जा नही किया और पश्चातवर्ती अतिक्रमी की उसके खिलाफ रिपोर्ट है। अपीलांट राजकीय सेवा मे कार्यरत है। उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है।

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.3.2016 को हुई। जब पुलिस वारन्ट लेकर अपीलांट के घर पर आयी। तब अपीलांट ने मालूम किया ओर दिनांक 21.3.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया ओर उसी दिन नकल प्राप्त की गई। अतः अपीलांट को जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। प्रकरण मे दिनांक 26.2.2016 से 20.3.2016 तक की अवधि जानकारी के अभाव मे डिले कन्डोन फरमायी जावे। उसके लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला पर फसल लहसुन की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है ओर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सम्वत् 2071 मे भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से 12 बार मूल पत्रावली तलब किये जाने के उपरांत भी इस न्यायालय मे नही भिजवाया जाना अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 336/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.2.2016 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि नायब तहसीलदार अन्ता आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बरखेडा तहसील अन्ता के खसरा नम्बर 7/129 की रकबा 0.22 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता/नाला पर कब्जा नही पाया जावे, तो नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 336/2016 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 26.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.23 13:32:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: